मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-10.01.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यतः सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अतः सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. **नगर विकास एवं आवास विभाग** में अवमाननावाद के कुल 237 (दो सौ सैंतीस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 849 (आठ सौ उनचास) मामले लम्बित हैं। प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि 32 (बत्तीस) मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है। शेष मामले में एक माह के अन्दर कारवाई कर दी जाएगी।

3. **पथ निर्माण विभाग** में अवमाननावाद के कुल 29 (उनतीस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के कुल 458 (चार सौ अंठावन) मामले लम्बित है। प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि सी0डब्लू0जे0सी0 में वर्ष 2006 से 2011 तक 100 (एक सौ) मामले लम्बित हैं। दस दिनों के अन्दर सभी मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमाननावाद के लम्बित मामलों में कमी लाने का निदेश दिया गया।

4. मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह में समीक्षा के बावजूद लोग व्यक्तिगत स्तर पर रूचि नहीं ले रहे हैं। अवमाननावाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 मामले में कमी लाने हेतु गंभीरता पूर्वक रूचि लेने का निदेश दिया गया।

5. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामलों को 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभागों द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन

नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अतः अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

30.1.14

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/933 जे0 पटना, दिनांक- 07.02.14

प्रतिलिपिः- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/933 जे0 पटना, दिनांक- 07.02.14

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।